

**ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND
SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS
THEREON**

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 46
TO BE ANSWERED ON THE 07/02/2025

IMPLEMENTATION OF E-NAM PLATFORM

*46. SHRI MAYANKBHAI JAYDEVBHAI NAYAK:

Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

- (a) the manner in which Government is encouraging small and marginal farmers to participate in the e-National Agriculture Market (e-NAM) platform;
- (b) the steps being taken to promote inter-State trade through e-NAM, and the manner in which Government is addressing the logistics challenges in this context;
- (c) whether there is any plan to expand the scope of e-NAM, such as integrating more commodities, value-added services, or new technological features; and
- (d) if so, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(SHRI SHIVRAJ SINGH CHOUHAN)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

**STATEMENT IN RESPECT OF PARTS (a) TO (d) OF THE RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 46 FOR 07/02/2025 REGARDING IMPLEMENTATION
OF E-NAM PLATFORM.**

(a): Small and marginal farmers need encouragement to participate in National Agriculture Market (e-NAM) for better realization of prices. To encourage the participation, facility of online registration through e-NAM portal and through mobile app (available on Android and iOS platform) is provided. Training programmes are conducted in Agricultural Produce Market Committees (APMCs) and toll-free number (18002700224) to assist farmers in registration & trading process.

As agro produce of small and marginal farmers may be less on individual basis, collectivizing them as Farmer Producer Organization (FPO) provides economies of scale. FPOs aggregate produce of member farmers and can access e-NAM through FPO trading module.

As on 31.12.2024, 4362 FPOs have been on-boarded on e-NAM platform and FPOs trade volume of 1.44 Lakh MT and 3.4 crore numbers (bamboo, betel leaves, coconut, lemon & sweet corn) with trade value of Rs 239.6 crore was recorded on e-NAM platform.

Additionally, by using the farm gate module a farmer can offer his produce without physically travelling to the APMC.

(b): Agricultural Marketing is a State subject and Agricultural Produce Market Committees (APMCs) are regulated by the respective State Agricultural Produce Market Committee Act of the State. For online inter-state trade, enabling provisions to recognize the trading licenses of other states is required. State APMC Acts/rules of Gujarat, Uttar Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Jharkhand, Manipur, Meghalaya and Tripura have incorporated enabling provisions, while APMC Acts of Tamil Nadu, Chhattisgarh and Andhra Pradesh do not prohibit the inter-state trade.

Considering the fact that Logistics remains a major hurdle for promotion of Inter-State and Inter-mandi trade under e-NAM, Government has taken a decision to upgrade e-NAM platform as e-NAM 2.0, which will facilitate the onboarding of various logistic service providers. This initiative will resolve the logistic challenge and will lead to faster trade, reduced wastage and better farmer incomes.

As on 31st Dec, 2024, Inter-state trade of 23,121 MT worth Rs. 65.48 crores has been recorded on e-NAM platform.

(c) & (d): Based on the request received from State Government Departments/ State Agri. Marketing Boards, the tradable parameters for respective commodities are finalized. As of 31st Dec 2024, tradable parameters for 221 commodities were finalized for online auction on the e-NAM platform.

It has been decided to upgrade the existing e-NAM platform to make it more efficient. The upgradation of e-NAM 2.0 has been initiated and the platform will become more robust, user-friendly, inclusive, scalable and open-network compliant. The main features of e-NAM 2.0 would be bank account validation, eKYC features using Aadhaar and onboarding of assaying, logistics and other value added service providers.

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 46

07 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: ई-नाम प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन

***46. श्री मयंक भाई जयदेव भाई नायक:**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार छोटे और सीमांत किसानों को ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफॉर्म में भाग लेने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) ई-नाम के माध्यम से अंतरराज्यीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार इस संदर्भ में संभार-तंत्र संबंधी चुनौतियों का समाधान किस प्रकार कर रही है;

(ग) क्या ई-नाम के दायरे में अधिक वस्तुओं, मूल्य संवर्धित सेवाओं, या नई प्रौद्योगिकीय विशेषताओं का एकीकरण करके इसका विस्तार करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“ई-नाम प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन” के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 07.02.2025 को उत्तरार्थ श्री मयंक भाई जयदेव भाई नायक: द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 46 के भाग (क) से (घ) का उल्लिखित विवरण

(क): छोटे और सीमांत किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, ई-नाम पोर्टल और मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाती है। पंजीकरण और व्यापार प्रक्रिया में किसानों की सहायता के लिए कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) में और टोल-फ्री नंबर (18002700224) के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

चूंकि छोटे और सीमांत किसानों की कृषि उपज व्यक्तिगत आधार पर कम हो सकती है, इसलिए उन्हें किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के रूप में एकत्रित करने से मितव्ययिता होती है। एफपीओ सदस्य किसानों की उपज को एकत्रित करते हैं और एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल के माध्यम से ई-नाम तक एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं।

31.12.2024 तक, 4362 एफपीओ को ई-नाम प्लेटफॉर्म पर शामिल किए गए हैं और ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 1.44 लाख मीट्रिक टन तथा 3.4 करोड़ एफपीओ (बांस, पान, नारियल, नींबू और मक्का) का व्यापार दर्ज किया गया, जिसका व्यापार मूल्य 239.6 करोड़ रुपये था।

इसके अतिरिक्त, फार्म गेट मॉड्यूल का उपयोग करके किसान एपीएमसी में गए बिना भी अपनी उपज बेच सकते हैं।

(ख): कृषि विपणन राज्य का विषय है और कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) को राज्य के संबंधित राज्य कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है। ऑनलाइन अंतर-राज्यीय व्यापार के लिए, अन्य राज्यों के व्यापार लाइसेंस को मान्यता देने वाले सक्षम प्रावधानों की आवश्यकता होती है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य एपीएमसी अधिनियमों/नियमों में सक्षम प्रावधान शामिल किए गए हैं, जबकि तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के एपीएमसी अधिनियम में अंतर-राज्यीय व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ई-नाम के तहत अंतर-राज्यीय और अंतर-मंडी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स एक बड़ी बाधा बनी हुई है, सरकार ने ई-नाम प्लेटफॉर्म को ई-नाम 2.0 के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, जो विभिन्न लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं को शामिल करने की सुविधा प्रदान करेगा। इस पहल से लॉजिस्टिक समस्याओं का समाधान होगा और इससे व्यापार में तेजी आएगी, बर्बादी कम होगी और किसानों की आय बेहतर होगी।

31 दिसंबर, 2024 तक ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 65.48 करोड़ रुपये मूल्य का 23,121 एमटी का अंतर-राज्यीय व्यापार दर्ज किया गया है।

(ग) और (घ): राज्य सरकार के विभागों/राज्य कृषि विपणन बोर्डों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, संबंधित जिंसों के लिए व्यापार योग्य मापदंडों को अंतिम रूप दिया जाता है। 31 दिसंबर 2024 तक, ई-नाम प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन नीलामी के लिए 221 जिंसों के व्यापार योग्य मापदंडों को अंतिम रूप दिया गया।

मौजूदा ई-नाम प्लेटफॉर्म को और अधिक कुशल बनाने के लिए अपग्रेड करने का निर्णय लिया जा चुका है। ई-नाम 2.0 के जारी विकास के साथ, प्लेटफॉर्म अधिक मजबूत, यूजर फ्रेंडली, समावेशी, स्केलेबल और ओपन-नेटवर्क के अनुरूप बन जाएगा। ई-नाम 2.0 की मुख्य विशेषताएं बैंक खाता सत्यापन, आधार का उपयोग करके ईकेवाईसी सुविधाएँ और एसेइंग, लॉजिस्टिक्स तथा अन्य मूल्य वर्धित सेवा प्रदाताओं की ऑनबोर्डिंग हैं।

श्री मयंक भाई जयदेव भाई नायक : मैं माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या ई-नाम में ऐसी व्यवस्था की गई है, जिससे किसान घर बैठे ही अपनी फसल को बेच सकता है?

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी एक विज्ञानी लीडर हैं और किसान कल्याण और कृषि का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ई-नाम के बारे में सवाल पूछा है। ई-नाम मतलब 'राष्ट्रीय कृषि बाजार'। पहले किसान को केवल अपनी मंडी में ही अपना उत्पादन बेचना पड़ता था। अगर अन्य जगहों की मंडियों में रेट अच्छे होते थे, तो उसे उसकी जानकारी भी नहीं होती थी। ई-नाम प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा 14 अप्रैल, 2016 को लॉन्च किया गया। यह एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो किसानों को उनकी फसल के बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करता है। एक राष्ट्र, एक बाजार की अवधारणा को लेकर यह कृषि उपज मंडियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ता है, ताकि जहाँ किसान को उच्चतम मूल्य मिले और उच्चतम बोली लगे, वहाँ वह अपनी फसल बेच पाए। इससे किसान को एक बाजार उपलब्ध हुआ है।

माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या ई-नाम में ऐसी कोई व्यवस्था है, जिससे किसान अपने घर से भी अपने उत्पादन को बेच सकता है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि ई-नाम प्लेटफॉर्म के तहत एक फार्म गेट मॉड्यूल बनाया गया है, ताकि किसान अपनी उपज की फोटो या चित्र को फार्म गेट से ही अपलोड कर सके। उसको अपनी उपज को मंडी में भौतिक रूप से लाने की आवश्यकता नहीं है। वह बिना उपज को लाए ही ई-नाम पर व्यापार के लिए बोली सुविधा का लाभ उठा सकता है। ई-नाम मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज के ढेर की 360 डिग्री, मतलब चारों दिशाओं से फोटो खींचकर पोर्टल पर डाल सकता है, जिससे खरीदार बोली लगाने से पहले देख सकते हैं कि वह कैसा है। ई-नाम ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज का लॉट बनाकर अपने घर से ही अग्रिम पंजीकरण कर सकता है, जिससे मंडी के प्रवेश द्वार पर किसानों के लिए प्रतीक्षा का समय भी काम हो जाता है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि घर बैठे ही उसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पता चलता है कि पूरे देश में मंडियों के रेट क्या-क्या हैं। इससे उसे तीन दिन पहले तक के रेट भी पता चलते हैं। वह यह भी तय कर सकता है कि मुझे आज बेचना है या अगर कल अच्छे रेट मिलें, तो क्या मैं इसे कल बेचूँ। यह एक बड़ी सुविधा है, जो प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों को दी है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ।

एक एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल भी बनाया गया है। इसके तहत एफपीओ भी अपने माल को बाजार में लाए बिना, जहाँ वे उसे एकत्रित करते हैं, उस केंद्र से ही फोटो अपलोड करके बेच सकते हैं। इसलिए मुझे माननीय सदस्य को बताते हुए प्रसन्नता है कि किसान को देशभर में एक बाजार उपलब्ध होता है और इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें बिचौलियों की संख्या कम हो जाती है। कई जगह हम देखते हैं कि एक जगह रेट बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरी जगह रेट नहीं मिलते हैं। किसान को फायदा यह है कि उसे पूरे देश की मंडियों का रेट पता चलता है और वह सीधे-सीधे व्यापारी के साथ अपने माल को बेचने के लिए ट्रेडिंग कर सकता है। इसलिए वह निश्चित तौर पर अपने घर से अपनी उपज को बेच सकता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : धन्यवाद, मंत्री जी। सेकंड सप्लीमेंटरी, श्री मयंक भाई जयदेव भाई नायक।

श्री मयंक भाई जयदेव भाई नायक : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारे प्रधान मंत्री, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से किसानों के लिए यह सरकार काम कर रही है, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या एफपीओ भी ई-नाम प्लेटफार्म के माध्यम से व्यापार कर सकता है? अगर हाँ, तो अब तक कितने एफपीओज़ को ई-नाम प्लेटफार्म से जोड़ा गया है? इसके साथ ही, ई-नाम योजना के अंतर्गत राज्यों को क्या सहायता दी जाती है, वह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ?

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, छोटे-छोटे किसान, जिनकी उपज कम होती है, लैंड होल्डिंग कम होती है, वे अपनी उपज का बेहतर दाम अकेले प्राप्त नहीं कर पाते और इसलिए एक और काम प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। छोटे-छोटे किसानों को जोड़ कर एफपीओ का निर्माण किया गया है और 10 हजार एफपीओज़ बनाए गए हैं। ये एफपीओज़ संगठित होकर अपने आदान की व्यवस्था करते हैं तथा अपने सामान की मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर सकते हैं। जब ये संगठित होते हैं, तो उचित मूल्य प्राप्त करने की इनकी ताकत बढ़ जाती है। मुझे प्रसन्नता है कि कई एफपीओज़ किसानों के सशक्तिकरण का उदाहरण बन गए हैं। प्रधान मंत्री लगातार एफपीओ के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। मुझे माननीय सदस्य को बताते हुए प्रसन्नता है कि एफपीओज़ भी इस प्लेटफार्म पर अपने सामान को बेच सकते हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस पोर्टल का लाभ उठाने के लिए उनको सारी जानकारी और अपनी उपज की 360 फोटो, जिसकी मैंने बात की थी, वह डालनी होती है। अब तक 31 दिसंबर, 2024 तक लगभग 4,362 किसान उत्पादक संगठन ई-नाम प्लेटफार्म से जुड़ चुके हैं। वे इसका लाभ उठा रहे हैं और इसके माध्यम से बेहतर रेट प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह और निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके द्वारा कृषि उत्पाद की बिक्री में किसानों को ऑनलाइन पेमेंट भी प्राप्त होती है, जिनमें एफपीओज़ भी शामिल हैं। इसमें ऑनलाइन रिसीट की प्राप्ति करने में आसानी होती है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ कि 31 दिसंबर, 2024 तक 1.44 लाख मीट्रिक टन और 3.4 करोड़ एफपीओज़, जिसमें बाँस, पान, नारियल, नींबू आदि हैं, इनका व्यापार एफपीओज़ के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया है, जिसका मूल्य 239.6 करोड़ रुपए है। इसलिए एफपीओज़ भी इस प्लेटफार्म का लाभ उठा कर किसानों को उचित दाम दे पाने में सक्षम हो रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री जी को फिर धन्यवाद देता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : धन्यवाद, मंत्री महोदय। थर्ड सप्लीमेंटरी, डा. सुमेर सिंह सोलंकी।

डा. सुमेर सिंह सोलंकी : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, नर्मदे हर! माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अंदर किसानों के कल्याण के लिए और कृषि विकास के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप प्रश्न पूछिए।

डा. सुमेर सिंह सोलंकी : माननीय मंत्री जी खुद किसान पुत्र हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि ई-नाम योजना से अब तक कितनी मंडियों को जोड़ा गया है तथा इस योजना से जुड़ने पर किसानों को क्या-क्या लाभ होता है?

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक लगभग 1,410 मंडियों को e-NAM platform से जोड़ा गया है। e-NAM एक मांग आधारित योजना है। यह राज्यों के ऊपर है कि वह अपनी मंडियों को - क्योंकि मंडियों को जोड़ने का मतलब यह है कि राज्यों को इंटर-मंडी, मतलब एक मंडी से दूसरी मंडी में व्यापार करने की अनुमति देनी पड़ती है, एक केंद्रीयकृत लाइसेंस होता है, जिस एक लाइसेंस पर व्यापारी प्रदेश की हर मंडी में काम कर सकता है, व्यापार कर सकता है। लेकिन इसमें यह सुविधा भी है कि अगर राज्य अनुमति दे, तो इंटर-स्टेट व्यापार भी इसके माध्यम से होता है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमने यह भी किया है कि इस योजना के अंतर्गत अब राज्य और केंद्र-शासित प्रदेशों को e-NAM के संचालन का विस्तार करने और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फंड मंजूरी देने की शक्ति को भी विकेंद्रीकृत किया गया है और इसके लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। हमने राज्य स्तरीय मंजूरी समिति बना दी और राज्यों को ही यह अधिकार दे दिया कि उन्हीं को e-NAM से जोड़ने की मंजूरी देनी है। कृषि राज्य का विषय है और इसलिए मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक e-NAM के अंतर्गत 31 दिसंबर 2024 तक विभिन्न राज्यों में, अलग-अलग मंडियों में 1 करोड़, 78 लाख किसान e-NAM portal पर पंजीकृत हो चुके हैं। महोदय, इसको साथ ही, 31 दिसंबर 2024 तक 20 राज्य और केंद्र-शासित प्रदेशों में कुल 640 मंडियों ने inter-mandi trade में भाग लिया और कुल 16.59 लाख मीट्रिक टन का कारोबार हुआ, जिसका मूल्य 5,022 करोड़ रुपए है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय विद्वान सदस्य सुमेर सिंह जी को यह बताते हुए प्रसन्नता भी है कि 31 दिसंबर 2024 तक e-NAM platform पर कुल 65.48 करोड़ रुपए मूल्य का अंतरराज्यीय व्यापार हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर कोई किसान मध्य प्रदेश का है, तो उसने तमिलनाडु में भी अपने सामान को उचित कीमत मिलने के कारण बेचा है। तो इससे अंतरराज्यीय व्यापार भी हो रहा है। अब तक, 31 दिसंबर तक, 22 राज्य और केंद्र-शासित प्रदेशों की 948 मंडियों में 6,831 करोड़ रुपए का e-payment किया गया है।

आपने पूछा कि इससे किसान को लाभ क्या होता है, तो माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनको यह बताना चाहता हूँ कि मंडी में जाने से पहले ही किसान को e-NAM mobile app पर मौजूदा वस्तुओं की तीन दिन पहले तक की कीमतें पता चल जाती हैं, वह वहाँ से इसकी जानकारी ले सकता है। किसान मोबाइल पर अपनी उपज का live online bid value देख

सकते हैं कि किस मंडी ने, किसी व्यापारी ने कितना rate लगाया है। किसान को SMS के जरिए अपने वस्तु की अंतिम bid rate का विवरण प्राप्त हो जाता है। किसानों के बैंक खातों में सीधे bid value अंतरित करने के लिए online payment gateway उपलब्ध है और उनके खातों में सीधे online पैसा चला जाता है। Peak season के दौरान लॉट की त्वरित gate entry की सुविधा के लिए, mobile app के जरिए लॉट के पूर्व पंजीकरण की, registration की सुविधा उपलब्ध है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसान अपनी उपज को बेचने के लिए मजबूर नहीं है कि अगर उसने उसे एक मंडी में लाया, तो वहाँ का व्यापारी कह दे कि इस दाम पर देना हो, तो दे जाओ, क्योंकि कई बार nexus बन जाते हैं। अब वह देश भर में कहीं भी अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र है, उसको विकल्प मिले हैं और प्रतिस्पर्धी मूल्य देखकर वह अपनी उपज को भेजता है। e-NAM देश भर में खरीदारों, व्यापारियों और किसानों के बीच सीधे व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। e-NAM platform के तहत ऑनलाइन भुगतान की सुविधा है। Farm gate module किसानों को चित्रों और गुणवत्ता मापदंडों के साथ अपनी उपज का लॉट-वार विवरण अपलोड करने और e-NAM पर व्यापार करने के लिए बोली लगाने की सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। इसके लिए उसे अपनी उपज को वहाँ भौतिक रूप से ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर वह उसे भौतिक रूप से ले जाता, तो उसकी मजबूरी हो जाती कि वह उसे बेच कर ही जाए। अब वह अपने घर बैठे अपनी उपज को बेच सकता है। इसलिए, माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूँ कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की यह e-NAM योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Now, fourth supplementary, Shrimati Rajani Ashokrao Patil.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी जो प्रबोधन दिया, उससे हम बहुत प्रभावित हुए। मैं यह कहना चाहती हूँ कि वे जो बोलते हैं, वह आदर्श है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं जो देखती हूँ, क्योंकि हम भी किसान परिवार से आते हैं, वैसा वहाँ होता नहीं है। जब मैं गाँवों में जाती हूँ, मैं परसों ही जब पार्लियमेंट सेशन के लिए आ रही थी, वहाँ पर हमारा जो विभाग है - हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है, कपास का प्रोडक्शन होता है - उसकी वहाँ पर मिलीभगत होती है यानी व्यापारियों और वहाँ की APMCs के बीच मिलीभगत होती है। ऐसे में किसान कहाँ जाएँगे? ऐसी परिस्थिति पैदा की जाती है कि किसानों के पास कम भाव पर अपना अनाज बेचने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता है। एमएसपी का तो कुछ पता ही नहीं है, आपने उसको legalise करने की बात भी नहीं की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि इसके लिए वे क्या करने वाले हैं, सरकार क्या करने वाली है?

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इसीलिए तो हम यह 'e-NAM' की योजना लेकर आए हैं, 'एक राष्ट्र, एक बाजार' इसलिए कि किसान कहीं भी अपनी उपज बेच सके।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : वे आपकी योजना को अच्छी बता रहे हैं।

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इसीलिए यह योजना आई है। कृषि राज्य का विषय है, मंडी राज्य संचालित करते हैं। कई बार इस तरह की दिक्कतें होती हैं कि व्यापारियों का कहीं nexus बन जाए, किसान आ गया, तो वह अपनी उपज बेच कर ही जाए और उसका रेट वह लगाए। अब इसमें किसान को जाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि वह अपने घर बैठे यह तय कर सकता है कि उसको अपनी उपज व्यापारी को बेचना है या नहीं बेचना है। इस तरह से पूरा देश एक बाजार हो जाता है। इस तरह के प्रयोग visionary leader नरेन्द्र मोदी जी ही कर सकते हैं। यह किसी दूसरे के बस की नहीं है, इसलिए वे इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Now, fifth and last supplementary, Shri Sandosh Kumar P.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I have a very straightforward question to you. We have a number of schemes, we are spending a huge amount on agriculture, and agriculture is also the major contributor to the job sector. So, when are you going to implement the MSP as recommended by the Swaminathan Commission? Any chance of it, legally? The cost of production plus 50 per cent varies from State to State. Is there a chance of getting it implemented in the near future?

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न उद्भूत नहीं होता है, लेकिन मैं जवाब जरूर दूँगा। मैं माननीय विद्वान सदस्य को कहना चाहता हूँ कि यह नरेन्द्र मोदी जी की ही सरकार है, जिसने तय किया कि उत्पादन की लागत पर कम-से-कम 50 परसेंट लाभ जोड़ कर ही एमएसपी तय की जाएगी। हमने यह तय किया। जब उधर की सरकार थी, तब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश आई थी, तो आपने तो affidavit देकर मना कर दिया था कि उत्पादन की लागत पर 50 परसेंट मुनाफा जोड़ कर एमएसपी तय नहीं की जा सकती है। ऐसा affidavit देकर कहा गया था और यह एक नहीं, बल्कि चार-चार मंत्रियों ने किया था। जो आपने नहीं किया, वह नरेन्द्र मोदी जी ने किया, क्योंकि मोदी है, तो मुमकिन है।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47.